न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 08, फर्रुखाबाद।

प्रकीर्णवाद संख्या–130/11/2019

उषा प्रति अरविन्द आदि।

दिनांक 10–05–2019

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली का परिशीनल किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 155–2 दं०प्र०सं० दिनांक 28–02–2019 को प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त से प्रार्थी को उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवायी हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये, किन्तु प्रार्थी उक्त प्रार्थनापत्र पर सुनवायी हेतु उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही उसके द्वारा कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी प्रश्नगत प्रकीर्ण वाद की कार्यवाहीं आगे चलाने का इच्छुक नहीं है। अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 155(2)दं.प्र.सं. निरस्त किये जाने योग्य है।

तदनुसार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 155(2)दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष संख्या 08

फर्रुखाबाद।